"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303-ज] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2002—कार्तिक 9, शक 1924

IndiaCode

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6/19/गृह/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह नवंम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां, जो छत्तीसगढ़ राज्य के संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है, तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक की वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं और इस समस्त विधियों में उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" किये जाएं तथा शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर शब्द "रायपुर" पढ़ा जावे.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विधि का नाम (2)
1.	भोपाल स्थित शासकीय आवास आबंटन नियम, 2000 (परिशिष्ट 1.2.3 को छोड़कर).

Raipur, the 5th August 2002

NOTIFICATION

No. F-6/19/Home/2002.—In exercise of the powers conferred by the under Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation Order, 2002.

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, and subject to the modification that in all the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted and words "Bhopal" wherever they occur the word "Raipur" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Law (2)
1.	Bhopal Sthit Shaskiya Awas Abantan Niyam, 2000 (Excluding Annexure 1.2.3).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.